30(आ०)

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 30(आ०) /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

सेवा में,

संयुक्त सचिव–सह–
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/7/2026

विषय : वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 30(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 के आलोक में कुल ₹3,19,96,60,800.00 (तीन अरब उन्नीस करोड़ छियानवें लाख साठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 30(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख/सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया /ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/सदस्य (पंच) के नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹3,19,96,60,800.00 (तीन अरब उन्नीस करोड़ छियानवें लाख साठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद् के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख/उप–प्रमुख /सदस्य तथा ग्राम पंचायत के मुखिया/उप–मुखिया /ग्राम पंचायत के सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सरपंच/उप–सरपंच/सदस्य (पंच) के नियत (मासिक) भत्ता भुगतान हेतु कुल ₹3,19,96,60,800.00 (तीन अरब उन्नीस करोड़ छियानवें लाख

Aditi

साठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :–

राशि रूपये में

पदनाम	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि
जिला परिषद् अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / सदस्य / पंचायत समिति प्रमुख / उप–प्रमुख / सदस्य / ग्राम पंचायत मुखिया / उप–मुखिया / सदस्य / ग्राम कचहरी सरपंच / उप–सरपंच / सदस्य (पंच)	"मुख्य शीर्ष 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता उपशीर्ष–0009–राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान" विपत्र कोड–16.2515001980009	"0009.31. 04–सहायक अनुदान–वेतन"	3199660800.00
कुल : (तीन अरब उन्नीस करोड़ छियानवें लाख साठ हजार आठ सौ रूपये) मात्र			3199660800.00

3. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 30(स्वी०) दिनांक 18.07. 2026 के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में CFMS के माध्यम से करते हुए विभागीय खाता संख्या 040401010367, IFSC Code- ICIC0000404, ICICI Bank, Branch- Boring Road, Patna में अंतरित करायेंगे।

4. विभागीय पत्रांक 74 दिनांक 01.01.2025 के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नियत (मासिक) भत्ता का भुगतान जिला स्तर से किया जायेगा। इस हेतु जिला पंचायत राज कार्यालय के Maker-Accountant, Checker अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं Approver जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे तथा जनप्रतिनिधियों के मासिक भत्ता के भुगतान हेतु PFMS Portal पर प्रविष्ट बैंक खाता राशि विवरणी एवं अंतरित राशि की शुद्धता की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित जिला के Maker, Checker एवं Approver की होगी।

5. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को नियत (मासिक) भत्ता का हस्तांतरित होने के पश्चात् बैंक के माध्यम से हस्तांतरित राशि के विवरण को प्रतिहस्ताक्षरित कर नियमानुसार विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार कार्यालय, बिहार में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. इस आवंटित राशि से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पूर्व के बकाये का भुगतान भी PFMS के माध्यम से किया जा सकेगा।

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commt Exp\6th SFC 2026-27\Letter docx 163

7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8 वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

11. इस आवंटित राशि की व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को तथा मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

12. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

13. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय–01–05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या ......68..../टि० पर दिनांक ..18/7/26..को प्राप्त है।

14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 20/7/26

(मंजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 3010 /पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा 04 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग)/प्रशाखा पदाधिकारी–06/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/लेखापाल/रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commt Exp\6th SFC 2026-27\Letter docx 164

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 30(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/2026
प्रतिलिपि : परियोजना निदेशक (SPRC), राज्य पंचायत संसाधन केन्द्र, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 30(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26
प्रतिलिपि : शाखा प्रबंधक, ICICI Bank, Boring Road, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

ज्ञापांक : 5प/स्था० एवं प्रति० व्यय–01–05/2021 (खंड)/ 30(आ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/2026
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन) 20/7/26
विशेष सचिव

Aditi

D:\MS EXCEL\MS Excel\Allotment\Allotment 2026-27\Estb & Commr Exp\6th SFC 2026-27\Letter.docx 165